

18/12/21
भाज पत्नी के द्वारा जन्म प्रसूत करने पर
प्रावली प्रेसिडि ली गई। प्रपत्ति का मूल माल
वोट प्रेसिडि किया जा चुका है अतः जन्म
शिशु का अंग प्रदान का कर अनिवार्य
नहीं जन्म शिशु का कर ही ला पर
वारिद किया जा रहा है प्रावली प्रेसिडि के
सम्बन्ध में कम ही

मिथिल प्रुले न्यायालय के द्वारा

राज्यपाल
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

